प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/148244/JHS/JHANSI/920/CFO

दिनांक: 05-03-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स RASHTRAKAVI METHILISHARN GUPT VIDYAPEETH (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता 1101, 1102, 1103,BEHIND POWER HOUSE MAIN ROAD CHIRGAON, JHANSI तहसील - MOTH, प्लाट एरिया 11120 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3828 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
VIDHYAPEETH	4	0	14.45 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स RASHTRAKAVI METHILISHARN GUPT VIDYAPEETH द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सरक्षा व्यवस्थाएं, एन०बी०सी० एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यरो के आई०एस० के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **07-03-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VAIBHAV GUPTA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-03-2025 से 06-03-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RASHTRAKAVI** METHILISHARN GUPT VIDYAPEETH अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RASHTRAKAVI** METHILISHARN GUPT VIDYAPEETH अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note: AS PER INSPECTION AND RECOMMENDATION REPORT OF FSSO.IT SOAL RESPONSIBILITY OF OWNER / OCCUPIER THAT ALL FIRE FIGHTING SYSTEMS MUST BE ALWAYS IN WORKING CONDITION AND REMAIN AVAILABLE AS PER NORMS EVERY TIME WITH TRAINED FIRE AND ELECTRIC SAFETY STAFF SHOULD BE ASSIGNED FOR THESE DUTIES.ALL EXITS/STAIRCASE SHOULD ALWAYS BE KEPT FREE FROM OBSTRUCTIONS AND REMAIN AVAILABLE AS PER NORMS EVERY TIME, FUNCTIONAL CERTIFICATE OF FIRE FIGHTING SYSTEM SUBMIT EVERY SIX MONTH.IF ANY TIME ANY FIRE SAFETY NORMES VIOLATED BY THE OWNER/OCCUPIER THEN THE ISSUED FIRE SAFETY REPORT LAPSE AUTOMATICALY.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By (Raj Kishor Rai)

[AEA95FF1DB178704748CAC7A8CF6237CFA6C9054]

07-03-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक: 07-03-2025

स्थान : JHANSI

कार्यालय मुख्य अग्निशमन पत्रांकः UPFS/2025/148244/JHS/JHANSI/920/CFO सेवा में,

अधिकारी झाँसी दिनांकः अगस्त, 2025

प्रबंन्धक / स्वामी राष्ट्रकिव मैथिलीशरण गुप्त विद्यापीठ इण्टर कॉलेज, पॉवर हाउस के पीछे मैन रोड चिरगांव, जनपद झाँसी।

विषयः

आनलाइन निर्गत अनापितत प्रमाण पत्र में भवन का नाम संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करें जो यू0आई0डी0 संख्याः UPFS/2025/148244/JHS/JHANSI/920/CFO दिनांक 07.03.2025 को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्कूल भवन का नाम संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में है।

आपके उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त यू०आई०डी० संख्या के द्वारा निर्गत अग्निशमन अनापित्त प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा विद्यालय का नाम में इण्टर कॉलेज अंकित नहीं किया था और RASHTRAKAVI METHILISHARAN GUPT, VIDYAPEETH के नाम से एनओसी निर्गत हो गयी, आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि स्कूल भवन का वास्तिविक नाम RASHTRAKAVI METHILISHARAN GUPT VIDYAPEETH INTER COLLEGE है, जिसे संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में यू०आई०डी० संख्याः UPFS/2025/148244/JHS/JHANSI/920/CFO दिनांकः07.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम RASHTRAKAVI METHILISHARAN GUPT VIDYAPEETH की जगह RASHTRAKAVI METHILISHARAN GUPT VIDYAPEETH INTER COLLEGE समझा जाय, शेष विवरण निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुरूप यथावत है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी